कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923
Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 1163 / वि. वि. / न.पा.नि. / 2022 रायगढ़, दिनांक 05/09/2022

–: द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना :–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ के सभाकक्ष में अतिरिक्त सुविधा के रुप में साउण्ड सिस्टम व ए.सी. स्थापना कार्य, जिसकी अनु. लागत राशि 16.68/- लाख रु., अमानत राशि 12,600.00/- रू. व निविदा प्रपत्र शुल्क 750.00/- रू. है, लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदार (विद्युत) कार्य हेतु प्रचलित दर (PWD Electrical SOR Date 01-06-2020) अनुसूची पर नगर पालिक निगम, रायगढ़ की वेबसाईट www. nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र "अ" डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर कर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक 24.9.2022 अपरान्ह 04:00 बजे तक स्पीडपोस्ट / पंजीकृत डाक से मुहर बंद निविदाएं त्रि–लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाए उसी दिन अपरान्ह को सायं 04:30 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

नोट :– * कार्य व नियम एवं शर्ते वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com / uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. .... / वि. वि. / न.पा.नि. / 2022 रायगढ़, दिनांक ....
प्रतिलिपि :–

1. मान. महापौर / सभापति / प्रभारी विद्युत सदस्य (MIC) नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र पत्रिका राज्यस्तरीय को 6X8 से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

06/09/22
लक्ष्मी विश्वकर्मा

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

नियम एवं शर्तें:–

1. उपरोक्त कार्य की निविदा प्रपत्र वेबसाईट uad.cg.gov.in/www.nagarniganraigarh.com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जावें तथा निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार के जानकारी की आवश्यकता होने पर नगर निगम रायगढ़ के विद्युत शाखा में प्राप्त किया जावें अन्यथा त्रुटि पूर्ण निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
2. निविदा त्रि – लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र जो एक वर्ष से पुराना मान्य नहीं होगा, जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन की प्रति, दस्तावेज के साथ रू. 100 के स्टैम्प पेपर में मूल शपथ पत्र जिसमें कार्य अधूरा नहीं छोड़ने तथा फर्म अथवा उसके सदस्यों के नाम की फर्म को किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया हो। निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाऐं होंगी। आवश्यकता पड़ने पर शपथ पत्र के अतिरिक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र की मूल प्रति निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराना होगा।
3. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावेंगें। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस कर दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
4. अमानत राशि के रूप में टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर./डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से होना चाहिए।
5. निविदा स्वीकृत की वैधता 180 दिनों की होगी। दरें समस्त करों सहित मान्य होगी। पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। बाजार दर में वृध्दि होने के स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी। कार्य क्र. 01 से 04 तक की निविदायें वार्षिक निविदा है जिसमें विभक्त कर कार्य प्रदाय किया जावेगा।
6. ठेकेदार को उनके निविदा में उल्लेखित प्रस्तुत दर कम/अधिक प्रतिशत पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नही की जावेगी। सभी देयकों में से अन्य आवश्यक कटौतियों के साथ 05% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेन्स राशि अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी जो आगामी एक वर्ष के अवधि में निर्देशित सुधार कार्य करने के बाद देय होगी। जब तक ठेकेदार के द्वारा अन्तिम देयक का भुगतान प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परफॉर्मेंस अवधि प्रभावशील नही होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
7. कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा जिसके समर्थन में संपादित कराये गये कार्य में प्रयुक्त समाग्रियों के खपत के अभिलेख दैनिक रूप से संधारित किया जाना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
8. कार्य का अन्य विवरण, देयक से काटी जाने वाली राशि एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
9. नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।
12. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णतः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।
13. निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अधिक मूल्य तक का एस.ओ.आर. में प्रावधानित कार्य स्वीकृत निविदा दर से किया जाना अनिवार्य होगा।
14. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के अन्दर प्रारंभ कर उल्लेखित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। अतः ठेकेदार उतने ही ग्रुप की निविदा में भाग ले जिसके लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हो ऐसी सलाह दी जाती है।
15. प्रस्तावित कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल प्रारम्भ कर आबंटित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा धीमी गति से संपादित करने पर आबंटित समय पश्चात् कार्य को निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में शेष निविदा राशि के कार्य के लिए अपात्र होंगे। देयक से काटी गई सुरक्षा राशि एवं अन्य भुगतान नियमानुसार वर्ष समाप्ति के पश्चात् एवं पुर्ननिविदा की स्थिति में बढे हुए निविदा दर एवं विलम्ब शुल्क की कटौती पश्चात् देय होगा।
16. आबंटित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नही करने पर ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा करायी गयी राशि को राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
17. निविदा दर स्वीकृत पश्चात अनुबंध संपादन का आशय स्वतः कार्य करने की स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रारंभ करने की फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आऊट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जावें।
18. समय–समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होगे।
19. विज्ञापन में संलग्न एन.आई.टी. कराये जाने वाले कार्यो का स्वरूप है। वास्तविक कार्य एस.ओ.आर. में उल्लेखित आईटम से जुड़े हो सकते है जिन्हें पुनरीक्षित पृथक तकनीकी स्वीकृति के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।
20. शासन से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। शासन से आवंटन किश्तो में प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवटंन अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा।

21. निविदा प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार को निम्न दस्तावेजों/सत्यप्रतिलिपि अपलोड एवं लिफाफे में प्रस्तुत होगा अन्यथा निविदा पात्र नहीं किया जावेगा।

अ. वैध ठेकेदार पंजीयन की जीवित प्रमाण पत्र की प्रति।

ब. पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।

स. इनकम टैक्स प्रस्तुतीकरण की प्रति जो एक वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

22. प्रत्येक रनिंग बिल से नियमानुसार जी.एस.टी., आयकर, खनिज रायल्टी, श्रमिक उपकर, सुरक्षा निधि एवं परफारमेंस गारंटी कटौती की जावेगी एवं अंतिम देयक का भुगतान रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पश्चात भुगतान किया जावेगा।

23. एक ठेकेदार अथवा ठेकेदारों के एक समान फर्म द्वारा समान कार्य के निष्पादन के लिये एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

24. दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबध्द है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति के भुगतान स्थगित कर दिया जावेगा।

25. निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

26. निविदा दर एस.ओ.आर. से 10% से अधिक, कम (Tender Rate Below More Than 10% in SOR) होने की दशा में प्राक्कलन राशि के 90% एवं निविदा दर के अंतर की राशि यदि 10% से 20% तक अधिक कम हो तो एफ.डी.आर./टी. डी.आर. निविदा खोले जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर स्वमेव जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 02 वर्ष के लिये निकाय में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने को वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।

27. ठेकेदार को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।

28. छ.ग. वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)